न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 48/2017/दावा 136 एलआरएक्ट

मुकेश कुमार पुत्र स्व. मंगलाराम जाति मीणा निवासी भामा की ढाणी तन रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत
धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 22.07.2021**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 365, 366, 370, 371, 386 ता 388, 390 किता 8 कुल रकबा 2.52 है0 एवं खसरा नम्बर 292 ता 294, 299 किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रामजीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। वादी के पिता स्व. मंगलाराम का स्वर्गवास दिनांक 01.01.1991 को हो चुका है। वादी के पिता स्व. मंगलाराम की विरासत का नामान्तकरण खुला तब प्रार्थी/वादी की उम्र लगभग 2 वर्ष थी तब वादी का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर पप्पू पुत्र मंगलाराम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी का सम्पूर्ण दस्तावेजातः— अंकतालिका माध्यमिक विधालय, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक, भामाशाह इत्यादि में मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम नाम दर्ज है। वादी अब वर्तमान में अपनी खातेदारीशुदा भूमि पर सरकारी योजनाओं— किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी समिति से ऋण सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वादी को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है क्योकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए वादी का नाम मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना अति आवश्यक व न्याय संगत है। उपरोक्त कृर्षि भूमियां वादी की पैत्रिक कृर्षि भूमियां है, जो उसे जरिये विरासत में प्राप्त हुयी है। इन भूमियों को जब से वादी समझदार हुआ है, तब से लगातार उपयोग—उपभोग करता आ रहा है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 365, 366, 370, 371, 386 ता 388, 390 किता 8 कुल रकबा 2.52 है0 एवं खसरा नम्बर 292 ता 294, 299 किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 व खसरा नम्बर 410

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रामजीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पप्पु पुत्र मंगला के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम राम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार जगदीश पुत्र गणेशराम व बजरंगलाल पुत्र स्व. मंगलाराम ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। दस्तावेज वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पप्पु पुत्र मंगला के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम राम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वादी के समर्थन में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपात अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम रामजीपुरा के ख.नं. 365, 366, 370, 371, 386, 387, 388, 390, 292, 394, 299, 410 के खातेदार पप्पू पुत्र मंगलाराम जाति मीणा की खातेदारी दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड में लगातार पप्पू पुत्र मंगलाराम दर्ज रहा है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र तथा अन्य दस्तावेजात में मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम जाति मीणा दर्ज है। तथा ग्राम रामजीपुरा में मिली जानकारी के मुताबिक पप्पू व मुकेश दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर एवं तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 365, 366, 370, 371, 386 ता 388, 390 किता 8 कुल रकबा 2.52 है0 एवं खसरा नम्बर 292 ता 294, 299 किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रामजीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम पप्पु पुत्र मंगला के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम पप्पू उर्फ मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तादाई

(आदेश 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मुकेश कुमार बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 48 / दावा सन् 2017 निर्णय दिनांक 22.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 365, 366, 370, 371, 386 ता 388, 390 किता 8 कुल रकबा 2.52 है0 एवं खसरा नम्बर 292 ता 294, 299 किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रामजीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम पप्पु पुत्र मंगला के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर पप्पू उर्फ मुकेश कुमार पुत्र मंगलाराम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.07.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

[illegible]	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ